<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 839 / 2007

संस्थापन दिनांक 20.12.2007

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—अनुपम दीक्षित पुत्र आदित्य दीक्षित उम्र 26 वर्ष, निवासी अटेर रोड भिण्ड जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

1			10	,
(आत	ादनाक का	घाषित	
١	011 01	13 113/	9111 131	,

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.12.07 को 11:00 बजे तुकेंड़ा पेंढ़ा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0—30—पी.

 —104 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा नेकराम को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्व परिचालन कर घोर उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.12.07 को फरियादी नेकराम मालनपुर से अपने गांव लुहरी का पुरा साइकिल से जा रहा था जैसे वह तुकेंड़ा पेंड़ा पर आया तभी मालनपुर की तरफ से एक सफेद रंग की बस कमांक एम0पी0—30—पी.—104 का चालक बस को बहुत तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसकी साइकिल में टक्कर मार दी टक्कर लगने से नेकराम सड़क पर गिर पड़ा जिससे नेकराम के दोनों पैरों व कमर में चोटें आई थीं बस का चालक बस को गोहद चौराहा तरफ भगा ले गया इसके बाद नेकराम का भतीजा राजू अ0सा01 नेकराम को उठाकर गोहद अस्पताल लाया। तत्पश्चात फरियादी नेकराम ने थाना मालनपुर में देहाती नालिसी दर्ज कराई जिस पर से थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अप0क0 150/07 प्रथम सूचना रिपोर्ट

10

पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4.

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :— 1—क्या आरोपी ने दिनांक 08.12.07 को 11:00 बजे तुकेंड़ा पेंढ़ा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0—30—पी.—104 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2—क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नेकराम को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्व परिचालन कर घोर उपहति कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष //

- 5. राजू अ0सा01 ने कथन किया है कि 8–9 वर्ष पूर्व 11–12 बजे वह और उसका भाई रामदत्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तब पीछे से बस लापरवाही से आई और उसके आगे जा रहे नेकराम की साइकिल में टक्कर मार दी जिससे नेकराम के पैर व कमर में चोट आई उसने पुलिस को खबर की तो पुलिस आई जो उसे अस्पताल ले गयी। बस वहां से चली गयी। बस का डाइवर कौन था उसे नहीं मालूम। वह आरोपी अनुपम को भी नहीं जानता उसे बस का नंबर भी याद नहीं है। सुझावस्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि बस का नंबर एम0पी0–30–पी.–104 था लेकिन फिर प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि बस का नंबर उसे याद नहीं है और यह भी कथन किया है कि बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि रामिसया अ0सा02 उसके साथ था।
- 6. रामिसया अ०सा०२ ने कथन किया है कि 8 वर्ष पूर्व नेकराम उसके घर से शाम के समय साइकिल से अपने घर लुहारी का पुरा जा रहा था वह उस समय घर पर ही था तब उसे घर पर नेकराम की दुर्घटना की खबर मिली वह घर पर ही रूका अपनी बुआ के नाती को घटनास्थल पर भेज दिया। एक्सीडेन्ट किस वाहन कमांक से किसने किया उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 08.12.07 को वह मालनपुर से अपने गांव आ रहा था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि तुकेंड़ा मोड़ पर बस कमांक एम०पी0—30—पी.—104 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर नेकराम में टक्कर मार दी थी।
- अतः अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये प्रत्यक्ष साक्षी राजू अ०सा०१ ने दुर्घटना आरोपी द्वारा कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है और बस कमांक एम०पी०—30—पी.—104 भी सुझाव स्वरूप स्वीकार कर मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में उक्त नंबर याद होने से इंकार किया है। रामसिया अ०सा०२ घटना में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उल्लिखित है बिल्क न्यायालयीन साक्ष्य में इस साक्षी ने घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार कर दुर्घटना बस कमांक

एम0पी0—30—पी.—104 से कारित होने से इंकार किया है। आहत नेकराम की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन उसे साक्ष्य में परीक्षित कराने असफल रहा है। राजू अ0सा01 व रामिसया अ0सा02 के अलावा घटना का अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी अभियोजन मामले में उल्लिखित नहीं है और उक्त दोनों प्रत्यक्ष साक्षीगण ने दुर्घटना आरोपी द्वारा कारित किए जाने अथवा दुर्घटना बस कमांक एम0पी0—30—पी.—104 से कारित होने के संबंध में विश्वसनीय कथन नहीं किए हैं। अतः परिस्थितिजन्य तथ्यों से भी अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 08.12.07 को 11:00 बजे तुकेंड़ा पेंढ़ा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर बस कमांक एम0पी0—30—पी.—104 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा नेकराम को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्व परिचालन कर घोर उपहति कारित की।

- 8. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9. प्रकरण में जप्त वाहन बस क्रमांक एम0पी0—30—पी.—104 पूर्व से आवेदक धर्मेन्द्रसिंह कुशवाह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उनमोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

WIND PARENTS TO A STATE OF THE PARENTS OF THE PAREN

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0